

अमेरिका से भारत भेजे गये प्रत्येक 1000 डॉलर पर अब पचास डॉलर का नया टैक्स लगेगा

जैसा कि विदित ही है, अमेरिका से भारतीय मूल के 45 लाख लोग, अपने वृद्ध माँ-बाप के लिये, बच्चों की शिक्षा व अन्य इमरजेंसियों के लिए, प्रति वर्ष लगभग 100 बिलियन डॉलर भेजते हैं

-सुकमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली व्यूगे-

नई दिल्ली, 21 मई। अमेरिकी प्रशासन के एक नए लैजिस्टिव प्रोजेक्ट (विवायी प्रस्ताव) के अंतर्गत भारतीय मूल के लोगों और नई दिल्ली के निवासियों के बीच चिंता बढ़ा दी है। यह विवायी फ्लूट विल एक्स्ट्रा' नाम के इस प्रस्ताव में अमेरिका से विदेश भेजी जाने वाली रकम पर 5 प्रतिशत प्रत्याहार टैक्स लगाने की बात की गई है, यह कदम भारतीय प्रवासी और उनके देश में विदेशीयों के बीच एक महत्वपूर्ण फायदानीशयल लाइफलाइन को झटका दे सकता है। यदि यह कानून बनता है, तो इसका असर भारत के शहरों से लेकर गांवों तक के घेरू बजारों पर पड़ेगा और भारत की व्यापक आधिकारियों तक पहुंचेगा। यह प्रत्याहार टैक्स सभी गैर-अमेरिकी नागरिकों द्वारा अपने देशों में भेजी जाने वाली राशि पर लागू होगा,

(शेष पृष्ठ 4 पर)

- अब इस 5 प्रतिशत के नये प्रस्तावित टैक्स से, इस रकम में लगभग 1.6 बिलियन डॉलर की कमी होने की अंदाज़ा है।
- गाँव व छोटे-छोटे शहरों में बसे परिवारों के लिए अमेरिका से उनके बच्चों द्वारा भेजी गई यह रकम जीवन-दायिनी का काम करती थी। अतः अमेरिका से आने वाले पैसे की 'फ्रीकॉर्सी' कम हो जायेगी या "अमांट" कम हो जाएगा।
- अतः, भारी संभावना है कि अब अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी भारतीय, अपने परिवार को भेजने वाले पैसे को हवाला या अन्य "अव्यवस्थित व गैर कानूनी" रास्ते से भेजने लगेंगे।
- भारत में विदेश से (अमेरिका से) आने वाली रकम घटने से भारत का विदेशी मुद्रा का कोष (रिजर्व) भी लगातार कम होगा।
- साथ ही भारत अमेरिका के बीच संबंधों में दरार भी आ सकती है, क्योंकि ये अप्रवासी भारतीय अपनी मेहनत से अमेरिका की इकॉनॉमी को समुद्र तो करते ही हैं, अपने भारत स्थित परिवारों का लालन-पालन भी करते हैं और उनकी इस जायज़ आय को बाधित करने से दोनों देशों के बीच तनाव तो आयेगा ही।
- पर, ट्रूप्स इस कदम से अपने गोल बैंक को तो खुश कर रहे हैं, जो कि "अमेरिका फर्स्ट" नाम से विश्वास करते हैं तथा भारी संख्या में विदेशीयों के अमेरिका आने को पसंद नहीं करते।

सुप्रीम कोर्ट ने अशोका युनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी को जमानत पर रिहा किया

पर, साथ ही कठाक्ष भी किया कि जब देश युद्ध में फंसा है तथा दुष्ट सङ्कों पर धूम रहे हैं, तब हमें संगठित रहना चाहिए या सत्ती लोकप्रियता की फिराक में "सांप्रदायिक टिप्पणियाँ" करनी चाहिए

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली व्यूगे-

नई दिल्ली, 21 मई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अशोका युनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी को जमानत दे दी, जिन्हें 18 मई को ऑपरेशन सिंदूर पर विवादायद पोस्ट करने के आरोप में गिरफतार किया गया था, लोकान् सुप्रीम कोर्ट ने जो पर रोक लगाने के इकाई प्रोफेसर को अप्रैल तक रातों विदेशीयों को रातों विदेशीयों को अंदर भेजा। अतः अपरेशन रात देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम रात तो दी, पर ऑपरेशन सिंदूर को "डॉग विस्टिंग" और "सत्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास" बताने के लिए कड़ी फटकार लगाई।

बाटा ने कैरी बैग के 6 रु. वसूले, 61 हजार का जुमाना भरना पड़ा

जयपुर, 21 मई। जिला उपभोक्ता आयोग, तुरीय ने ग्राहक को जूँझ के साथ कंपनी का नाम लिया करी बैग देने के बदले 6 रुपए वसूलने का अनफेरय देव ट्रैनिंग्स के साथी विदेशीयों माना है। अपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का राजस्थान का यह पहला दौरा है। कहा जा रहा है कि मोदी नाल एक्सेस के जवानों से भी भी बात कर सकते हैं।

■ जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा, कैरी बैग पर बाटा का विज्ञापन है, इसलिए वह निश्चुल्क होना चाहिए।

सहित लौटाए आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माशुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश नीता पारिक के परिवार पर दिया आयोग ने कहा कि कैरी बैग पर बाटा का विज्ञापन था और ऐसे में वह निश्चुल्क होना चाहिए था।

मामले के अनुसार परिवारों ने 27 फरवरी, 2024 को विपक्षी के बाद स्टोर से एक जड़ी जूता व एक स्टोरीप 4698 रुपए में खरीद, लेकिन विपक्षी

(शेष पृष्ठ 4 पर)

अवैध बांग्लादेशी बता कर महिला को हिरासत में लेने का मामला

जयपुर, 21 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने जामानोली थाना इलाके में रहने वाली महिला को बांग्लादेशी बताकर उसे दिवासत में लेने के मामले में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिशनर और जामानोली थानाधिकारी सहित, अन्य से जवाब तलब किया है। जिससे अदालत ने यह बताया कि यह अधिकारियों को एक सप्ताह में संविधान निचली अदालत में देश किया जाए और अदालत ज्ञाने विचार शर्तों पर आयोग की बात की।

याचिका में अधिकारियों को एक सप्ताह में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिशनर व जामानोली थानाधिकारी से जवाब तलब किया।

ओर से दायर बैंदी प्रव्यक्ति के बीच ने थी। जिससे दायर करता है कि जिससे अदालत को बताया कि यह अधिकारियों को एक सप्ताह में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिशनर व जामानोली थानाधिकारी से जवाब तलब किया।

याचिका के बीच ने यह किया कि यह अधिकारियों को एक सप्ताह में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिशनर व जामानोली थानाधिकारी से जवाब तलब किया।

याचिका के बीच ने यह किया कि यह अधिकारियों को एक सप्ताह में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिशनर व जामानोली थानाधिकारी से जवाब तलब किया।

याचिका के बीच ने यह किया कि यह अधिकारियों को एक सप्ताह में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिशनर व जामानोली थानाधिकारी से जवाब तलब किया।

याचिका के बीच ने यह किया कि यह अधिकारियों को एक सप्ताह में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिशनर व जामानोली थानाधिकारी से जवाब तलब किया।

याचिका के बीच ने यह किया कि यह अधिकारियों को एक सप्ताह में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिशनर व जामानोली थानाधिकारी से जवाब तलब किया।

याचिका के बीच ने यह किया कि यह अधिकारियों को एक सप्ताह में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिशनर व जामानोली थानाधिकारी से जवाब तलब किया।

याचिका के बीच ने यह किया कि यह अधिकारियों को एक सप्ताह में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिशनर व जामानोली थानाधिकारी से जवाब तलब किया।

याचिका के बीच ने यह किया कि यह अधिकारियों को एक सप्ताह में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिशनर व जामानोली थानाधिकारी से जवाब तलब किया।

याचिका के बीच ने यह किया कि यह अधिकारियों को एक सप्ताह में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिशनर व जामानोली थानाधिकारी से जवाब तलब किया।

याचिका के बीच ने यह किया कि यह अधिकारियों को एक सप्ताह में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिशनर व जामानोली थानाधिकारी से जवाब तलब किया।

याचिका के बीच ने यह किया कि यह अधिकारियों को एक सप्ताह में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिशनर व जामानोली थानाधिकारी से जवाब तलब किया।

याचिका के बीच ने यह किया कि यह अधिकारियों को एक सप्ताह में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिशनर व जामानोली थानाधिकारी से जवाब तलब किया।

याचिका के बीच ने यह किया कि यह अधिकारियों को एक सप्ताह में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिशनर व जामानोली थानाधिकारी से जवाब तलब किया।

याचिका के बीच ने यह किया कि यह अधिकारियों को एक सप्ताह में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिशनर व जामानोली थानाधिकारी से जवाब तलब किया।

याचिका के बीच ने यह किया कि यह अधिकारियों को एक सप्ताह में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिशनर व जामानोली थानाधिकारी से जवाब तलब किया।

याचिका के बीच ने यह किया कि यह अधिकारियों को एक सप्ताह में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिशनर व जामानोली थानाधिकारी से जवाब तलब किया।

याचिका के बीच ने यह किया कि यह अधिकारियों को